[Shri Karnal Morarka]

out in the open in this manner and get crashed. Our fears have come true. These helicopters are definitely sub-standard. Therefore, as a first step, even before this enquiry report comes, the Pawan Hans helicopters should be grounded. There is absolutely no need to take the risk of trying it commercially, for carrying passengers, much less the VIPs. So many technical reports have come and the Prime Minister himself in this House had said earlier that we are not going to buy this helicopter. Later on, the Government has decided to buy this helicopter. At least after this tragic experience, you Bhould ground the entire fleet pending the enquiry report. When the enquiry report comes, expeditious action sohuld be taken because the lives of Indian passengers are more important. Whatever money we might have spent rightly or wrongly on this helicopter, if need be, let us scrap this helicopter and go in for a new helicopter. Just to justify the purchase,-we cannot risk the lives of passengers. That is what I want to submit to the Government.

Increased drug trafficking in the North-Eastern region

SHRIMATl BIJOYA CHAKRA-VARTY (Assam): Madam, my Special Mention is about the horrible condition created by increased drug trafficking in the entire North-Eastern region. The intelligence reports indicate that the North-Eastern States are highly vulnerable as far as drug smuggling from Burma is concerned. Since 1962, drug trafficking across the Burma border has been steadily growing. In recent years it has reached an all time high. It is not wrong to say that insurgent groups have links with drug smugglers and this has created a condition of vulnerability in these areas. Via Manipur. Nagaland, Meghalaya and Arunachal Pradesh, large quantities of "drugs are reaching Assam and the rest of the country without any check. It has also been identified that at least eighty major and minor heroin refineries are located near the Burmese border. Government must be aware of the fact that 3000 kilograms of opium are prepared under the supervision of BCP. Large quantities of this opium reach the country through the unmanned border in these areas. The most deplorable fact is that the seizure of heroin coming from these areas which form the Golden Triangle — Burma, Laos and Thailand — has been negligible. It is less than one precent. This shows that the Government is not at all sufficiently alert in these border areas of Assam and the North-Eastern States. That is why drug smuggling is going on unabated. So also drug addiction in these areas is on the increase.

I suggest that strict vigilance must be maintained along the 100 kilometers area of Indo-Burma border. Moreover, seting up of check-posts is very necessary. Finally, restrictions must be put on the coming and going of the border people on both sides of Indo-Burma border. Otherwise the narcotic trade cannot be checked. That is my submission.

Portraying the barber community in bad light in certain publications and forthcoming TV serial

श्री भंवर लाल पंवार (राजस्थान): उपसभापति महोदया, इस विशेष उल्लेख के माध्यम से प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, समाज कल्याण मंत्री एवं भारत सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति में श्रम का विशेष महत्व रहा है एवं किसी भी प्रकार के श्रम को पूज्यनीय एवं भारतीय संस्कृति के अनुरूप महिमामंडित किया जाता रहा है। परन्तु खेद का विषय है कि भारत वर्ष की विगत पांच हजार वर्ष की पौराणिक संस्कृति में वर्तमान के घृणित एवं भ्रमित देशकाल और वातावरण के फलस्वरूप श्रम की पवित्रता एवं महानता को अपमानित एवं कुंठित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस संदर्भ में आपका ध्यान हाल ही में प्रकाशित समाचार पत्रिका "माया" दिनांक 15 मई, 1988 के संस्करण के पृष्ठ संख्या-8 पर प्रकाशित लेख "अमिताभ के नाई का नुस्खा" की ओर एवं मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित बाल भारती कक्षा चार में समाविष्ट नाटक "गधे की हजामत" एवं हाल ही में ग्राम इंगोरिया जिला उज्जैन (म.प्र.) में दूरदर्शन के लिए पाइलेट फिल्म "गधे की हजामत" की शूटिंग प्रारम्भ करने के संदर्भ में दैनिक भास्कर, दिनांक 17-1-88 उज्जैन संस्करण में सचित्र प्रकाशित खबर की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के घृणित लेखों एवं टी.वी. सीरियल की शूटिंग के द्वारा भारतवर्ष के लगभग दो करोड़ नाई समाज के व्यक्तियों का अपमान एवं सुनियोजित ढंग से उपहास करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप नाई जाति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और भारत-वर्ष के दो करोड़ नाई समाज के नागरिकों में भारी रोष व्याप्त हो गया है।

भारतीय संविधान के माध्यम से समता का अधिकार संरक्षित किया गया है एवं धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के भाग-3 (मूल अधिकार) अनुच्छेद-14 एवं 15 के द्वारा प्रतिपादित किये जाने के बावजूद भी "क्षौरकर्म" का श्रम करने वाले करोड़ों भारतीय नागरिक याने नाई समाज के व्यक्तियों को अभद्र साहित्य, लेख, नाटक, शैक्षणिक पुस्तकों, पाठयक्रमों एवं फिल्म शूटिंग के द्वारा दूरदर्शन पर प्रदर्शन, मनोरंजन को आधार बनाकर गधे की हजामत नाम के सीरियल से प्रारंभ किया जा रहा है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित बालभारती कक्षा-4 में "गधे की हजामत" नामक नाटक शीर्षक से उल्लेखित कर समाविष्ट कर मध्य प्रदेश में बालकों को पढ़ाया जा रहा है और जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है "गधे की हजामत" टी. वी. सीरियल की शूटिंग ग्राम इंगोरिया में जिला उज्जैन (म. प्र.) में प्रारम्भ की जा चुकी है जिसका सचित्र विवरण दैनिक भास्कर के दिनांक 17 जनवरी, 1988 के उज्जैन संस्करण में प्रकाशित किया गया है।

केश कला कर्म भारतीय संस्कृति तथा हिन्दु धर्म का पवित्र कर्म है। हिन्दुओं की 16 संस्कार पद्धतियों में मृत्यु पर्यान्त यह किया जाता है। संस्कारों के शुभ अवसर पर यह कर्म प्रथमतः श्रृंगारहेतु किया जाता रहा है और इस कर्म की उपयोगिता मानव को दीर्घायु बनाने, आयु की रक्षा करने, नेत्र ज्योति वृद्धि करने, पाचन शक्ति एवं पराक्रम वृद्धि करने वाला भारतीय वेदों, पुराणों में इसका उल्लेख है। भारत के संतों एवं ग्रंथों द्वारा सम्मानित इस क्षौर कर्म के वर्तमान में भद्दे प्रदर्शन से समस्त नाई समाज को तिरस्कृत और अपमानित करने का सुनियोजित घिनौना प्रयास किया जा रहा है जिसके कारण नई समाज की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और भारत के लगभग दो करोड़ नाई जाति के व्यक्तियों में गहरा रोष है।

आपके माध्यम से समस्त नाई समाज के सम्मान की दृष्टि से केश-कला के महत्व एवं उपयोगिता की दृष्टि से, धार्मिकता की दृष्टि से, संविधान में प्रतिपादित समता के मूल अधिकार की दृष्टि से उपरोक्त "गधे की हजामत" शीर्षक नाटक को उपरोक्त पाठ्य पुस्तक में से अविलम्ब हटाया जाए, "गधे की हजामत" नाम से दूरदर्शन के सीरियल के रूप में जो शूटिंग प्रारम्भ की गई है उस पर अविलम्ब प्रतिबन्ध लगाया जाए एवं माया के 15 मई 1988 के संस्करण में प्रकाशित "अमिताभ के नाई का नुस्खा" लेख को प्रकाशित करने के लिए प्रताड़ित किया जाए। माया के 15 मई के प्रधान सम्पादक को प्रताड़ित किया जाए। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन के स्कूल विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या डी-2569/3487/सी-3/20 दिनांक 2-9-86 में मनोरंजन के आधार पर पाठ्य पुस्तक से "गधे की हजामत" पाठ को नहीं हटाने की बात संविधान के विरुद्ध है एवं भर्त्सना किए जाने योग्य है। अतः इस संबंध में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर सरकार के द्वारा समुचित कार्रवाई की जाए

(श्री भवर लाल पंवर)

भारती कक्षा चार में समाविष्ट नाटक "गधे की हजामत" एवं हाल ही में ग्राम इंगोरिया जिला उज्जैन (म.प्र.) में दूरदर्शन के लिये पाइलेट फिल्म "गधे की हजामत" की शूटिंग प्रारंभ करने के संदर्भ में दैनिक भास्कर दिनांक 17-1-88 उज्जैन संस्करण में सचित्र प्रकाशित खबर की ओर आकर्षित करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के वर्णित लेखों एवं टी.वी. सीरियल की शूटिंग के द्वारा भारतवर्ष के लगभग दो करोड़ नाई समाज के व्यक्तियों का अपमान एवं सुनियोजित ढंग से उपहास करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप नाई जाति की प्रतिष्ठा में ठेस पहुंची है और भारतवर्ष के दो करोड़ नाई समाज के नागरिकों में भारी रोष व्याप्त हो गया है।

भारतीय संविधान के माध्यम से समता का अधिकार संरक्षित किया गया है एवं धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के भाग-3 (मूल-अधिकार) अनुच्छेद-14 एवं 15 के द्वारा प्रतिपादित किये जाने के बावजूद भी "क्षौरकर्म" का श्रम करने वाले करोड़ों भारतीय नागरिक याने नाई लेख, नाटक, शैक्षणिक पुस्तकों, पाठ्यक्रमों एवं फिल्म शूटिंग के द्वारा दूरदर्शन पर प्रदर्शन, मनोरंजन को आधार बनाकर एवं गधे की हजामत नाम के सीरियल से प्रारंभ किया जा रहा है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित बालभारती कक्षा-4 में "गधे की हजामत" नामक नाटक शीर्षक से उल्लेखित कर समाविष्ट कर मध्य प्रदेश में बालकों को पढ़ाया जा रहा है और जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है "गधे की हजामत" टी. वी. सीरियल की शूटिंग ग्राम इंगोरिया में जिला उज्जैन (म.प्र.) में प्रारम्भ की जा चुकी है जिसका सचित्र विवरण दैनिक भास्कर के दिनांक 17 जनवरी, 1988 के उज्जैन संस्करण में प्रकाशित किया गया है।

केश कला कर्म भारतीय संस्कृति तथा हिन्दू धर्म का पवित्र कर्म है। हिन्दुओं की 16 संस्कार पद्धतियों में मत्यु पर्यान्त यह किया जाता है। संस्कारों के शुभ अवसर पर यह कर्म प्रथमतः श्रृंगारहेतु किया जाता रहा है और इस कर्म को रूपतु योगिता मानव को दीर्घायु बनाने, आंख की रक्षा करने, नेत्र ज्योति वृद्धि करने, पाचन शक्ति एवं पराक्रम वृद्धि करने वाला भारतीय वेदे, पुराणों में इसका उल्लेख है। भारत के संतों एवं ग्रंथों द्वारा सम्मानित इस क्षौर कर्म के वर्तमान में भद्दे प्रदर्शन से समस्त नाई समाज को तिरस्कृत और अपमानित करने का सुनियोजित घिनौना प्रयास किया जा रहा है जिसके कारण नाई समाज की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और भारत के लगभग दो करोड़ नाई जाति के व्यक्तियों में गहरा रोष है।

आपके माध्यम से समस्त नाई समाज के सम्मान की दृष्टि से केशकला के महत्व एवं उपयोगिता की दृष्टि से, धार्मिकता की दृष्टि से, संविधान में प्रतिपादित समता का मूल अधिकार की दृष्टि से उपरोक्त "गधे की हजामत" शीर्षक नाटक को उपरोक्त पाठ्य पुस्तक में से अविलम्ब हटाया जाए, "गधे की हजामत" नाम से दूरदर्शन के सीरियल के रूप में जो शूटिंग प्रारंभ की गयी है उस पर अविलम्ब प्रतिबन्ध लगाया जाये एवं माया के 15 मई, 1988 के संस्करण में प्रकाशित "अभिताभ के नाई का दुखड़ा" लेख को प्रकाशित करने के लिये प्रताड़ित किया जाये। माया के 15 मई के प्रधान सम्पादक को प्रताड़ित किया जाये। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन के स्कूल विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या डी 2569/348/सी 3/20 दिनांक 2-9-86 में मनोरंजन के आधार पर पाठ्य पुस्तक से "गधे की हजामत" पाठ को नहीं हटाने की बात संविधान के विरुद्ध है एवं भर्त्सना किये जाने योग्य है। अतः इस संबंध में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर सरकार के द्वारा समुचित कार्यवाही की जाए।